राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.18(13)नविवि/जयपुर/2018 **जयपुर, दिनांक** 26 MAY 2020

आदेश

मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के अन्तर्गत प्रस्तावित योजनाओं में EWS/LIG/MIG-A के भूखण्डों पर भवन निर्माण स्वीकृति हेतु मापदण्डों के संदर्भ में सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरान्त निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. MIG-A आवासीय इकाईयों हेतु सुपर बिल्टअप ऐरिया न्यूनतम 750 वर्गफीट लेकिन अधिकतम कारपेट एरिया 90 वर्गमीटर होगा। MIG-A के आवासीय भूखण्ड का क्षेत्रफल 76 से 120 वर्गमीटर के मध्य रखा जाना होगा।
2. CMJAY-2015 के तहत जिन योजनाओं यथा प्रावधान 1ए के तहत् प्लोटेड डवलमेंट की योजनाओं के प्रावधान 3बी एवं 3सी आदि में भूखण्डों का साईज EWS/LIG/MIG-A श्रेणी के भूखण्डों पर निम्नानुसार भवन निर्माण स्वीकृति की कार्यवाही की जा सकेगी।

(I) भूखण्डों के सेटबेक एकीकृत भवन विनियम–2017 के अनुसार रखे जावें।

(II) इन EWS/LIG/MIG-A श्रेणी के भूखण्डों पर एकल आवासीय इकाई अर्थात स्वतंत्र आवासीय भवन प्रस्तावति किये जाने पर भवन विनियमों के अनुरूप निर्माण एवं ऊँचाई अनुज्ञेय होगी अर्थात 90 वर्गमीटर तक के भूखण्डों पर अधिकतम G+1 मंजिल अनुज्ञेय होंगे तथा 90 वर्गमीटर से अधिक 120 वर्गमीटर तक के भूखण्डों पर अधिकतम G+2 मंजिल अनुज्ञेय होंगे। इसमें कारपेट एरिया की बाध्यता नहीं होगी।

(III) EWS/LIG/MIG-A के भूखण्डों पर पृथक–पृथक मंजिल पर पृथक–पृथक आवासीय इकाई का निर्माण प्रस्तावित होने पर अधिकतम G+2 मंजिला भवन अर्थात पृथक भूखण्डों पर अधिकतम 3 आवासीय इकाई निर्धारित सेटबेक छोडकर अनुज्ञेय होगी। इस आवासीय इकाईयों का कारपेट एरिया अधिकतम क्रमशः EWS इकाई हेतु 30 वर्गमीटर, LIG इकाई हेतु 60 वर्गमीटर व MIG-A इकाई हेतु 90 वर्गमीटर अनुज्ञेय होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

26/5/2020

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

Scanned with CamScanner